न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2577–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–7–16 पारित द्वारा तहसीलदार, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 5/अ–70/2014–15.

दुष्यंत सिंह चौहान पिता एस.एस. चौहान
निवासी सूरजगंज इटारसी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

संदीप कुमार सिंह पिता रूद्र प्रताप सिंह
निवासी 410, आईडीए स्कीम नं. 59
अमितेष नगर, इन्दौर
तहसील व जिला इन्दौर .....अनावेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/2/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–7–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, होशंगाबाद के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसमें स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम साकेत तहसील व जिला होशंगाबाद स्थित सर्वे कमांक 15/2, 16/2, 20/1 एवं 41 कुल रकबा 3.415 हेक्टेयर का उसके द्वारा सीमांकन कराये जाने पर ज्ञात हुआ कि आवेदक द्वारा उसकी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक

5/अ–70/2014–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151 एवं आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 1–7–16 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा 12 वर्ष से भी अधिक समय से है, जिसकी जानकारी अनावेदक को प्रारंभ से रही है, इसलिए संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है, क्योंकि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कब्जा होने के दो वर्ष के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । यह भी कहा गया कि अनावेदक की ओर से संहिता की धारा 250 के तत्वों को प्रमाणित नहीं किया गया । उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र निरस्त होने के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, और अनावेदक की सहमति होने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किया जाना है, परन्तु आवेदक द्वारा प्रकरण का निराकरण नहीं कराकर, प्रकरण लम्बित रखने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक की ओर से विधिवत् हुये सीमांकन के 2 वर्ष के अन्दर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 250 प्रकरण में लागू होती है, अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । आवेदक की ओर से

तहसीलदार के समक्ष ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका 12 वर्ष से भी अधिक समय से अनावेदक की जानकारी में कब्जा है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–7–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर